



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

क्र...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल/अका-1/26

क्र. 3702

// आदेश //

दिनांक 05/10/26

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007, यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग सभा 207 वीं बैठक दिनांक 22.09.2026 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भाभा विश्वविद्यालय, भोपाल के द्वारा प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की सशर्त एवं प्रावधिक अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है :-

क्रं	विभाग का नाम	संकाय	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (धारा 9 ख के अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/वृद्धि सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद का आदेश तथा दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रं
1	Dept. of Law	Law	LLM- Criminal and Security	-	20	08	-	91
			LLM -Human Rights Law	-	20	08		
			LLM -Corporate and - Commercial law	-	20	08		
			LLM- Taxation	-	20	08		
			LLM -Cyber Law and Data Policy	-	20	08		
कुल सीट -						40		

शर्त:-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं अन्य मापदंडों का पालन करना सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/ मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।

निरंतर.....2

7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/ मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था/ एजेंसियों के मापदंडों की पूर्ति कराना होगा।
8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा.सभापति महो. द्वारा अनुमोदित)


(सुनील खरे)
सचिव

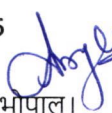
म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल

पृष्ठांकन /म.प्र.नि. वि.वि.वि.आयोग, भोपाल/ अका-1/2026

दिनांक/...../2026

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक के माध्यम से मा. सभापति महो. म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलसचिव, भाभा विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ति।


सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल